

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0 खान  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 124/2020

उदयसिंह पुत्र सतीदान सिंह, ग्रा0पो0 मणकसास वाया सराय सुरपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू  
बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू

— —  
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील  
आदेश

दिनांक 25.11.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 05.11.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 124/2020 पर दिनांक 05.11.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक पाठक /2020/1928 -1929 दिनांक 05.11.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/20/1415 दिनांक 12.11.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 17.09.2020 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/09/598 दिनांक 30.09.2020 द्वारा संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, झुंझुनू को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अतः प्रथम अपील का जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील निरस्त फरमाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/20/1415 दिनांक 12.11.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 17.09.2020 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय/सू0अ0/09/598 दिनांक 30.09.2020 द्वारा संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, झुंझुनू को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया ( अन्तरित किया ) गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 25.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( यू0डी0 खान )  
जिला कलक्टर, झुंझुनू  
जिला कलक्टर झुंझुनू